नगर निगम की हरामखोरी पर एनजीटी का नकली हथौड़ा, 50 लाख जुर्माना

फ़रीदाबाद (म.मो.) सेक्टर 48 के निवासियों की शिकायत पर सुनवाई करते हुए एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रब्यूनल) ने नगर निगम पर 50 लाख का जुर्माना ठोका था दिनांक 15 जनवरी को जो आज तक भी नहीं भरा गया।

'हूडा' द्वारा विकसित उक्त रिहायशी सेक्टर सन 2016 में नगर निगम के हवाले कर दिया गया था। चोरों की सरकार के एजेंट 'हूडा' अधिकारियों ने इस सेक्टर की सीवर लाइन बिछाने में इतना माल डकार लिया कि सीवर लाइन कभी ढंग से चली ही नहीं, हमेशा ओवर फ्लो ही करती रही। परिणामस्वरूप सेक्टर में साढे तीन एकड़ का जो प्लॉट मार्केट बनाने के लिये रखा गया था वह सीवर के सड़े पानी का एक तालाब सा बन कर रह गया।

स्थानीय निवासियों ने संगठित होकर 'हूडा' व निगम दोनों से गुहार लगाई। 'हूडा' वाले तो पल्ला झाड़ लेते हैं कि उन्होंने नगर निगम को सौंप दिया और निगम वाले कहते हैं कि सीवर लाइन का निर्माण ही ठीक नहीं हुआ, यानी मन्यूफैक्चरिंग डिफ़ेक्ट को वे कहां तक ठीक करें। ऐसे में जब किसी ने भी इनकी सुनाई नहीं करी तो स्थानीय विधायक सीमा त्रिखा के भी खूब चक्कर लगाये जिसने झूठे आश्वासनों के सिवाय कुछ नहीं दिया। थक-हार कर निवासियों ने वकील आदि का खर्चा करके दिल्ली स्थित एनजीटी में याचिका दायर की। पेशी पर पहुंचे निगम के एक्सीयन विरेन्द्र कर्दम ने उक्त तर्क दिया जिसे एनजीटी

ने अस्वीकार करते हुए 50 लाख का जुर्माना निगम पर ठोक दिया।

नियमानुसार 'हूडा' बतौर कॉलोनाइज़र सेक्टर काट कर, लोग़ों को बसा कर नगर निगम के हवाले कर देता है। 'हूडा' अपने इस काम पर बहुत मोटा मुनाफ़ा तो लूटता ही है, इसके अधिकारी/कर्मचारी जो जनता से लूटते हैं उसका कोई हिसाब नहीं। इसके अलावा हर सेक्टर में कमर्शियल ज़ोन यानी मार्केट हमेशा अपने अधिकार में रख कर मोटा मुनाफ़ा अलग से कमाता है। एनजीटी में बहस के दौरान एक्सीयन कर्दम ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि 'हूडा' ने उन्हें मालिकाना हक नहीं दिया था तो 2016 में निगम ने इसे स्वीकार ही क्यों किया था? और ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसका मालिकाना हक 'हूडा' ने अलग से नगर निगम को दिया हो? 'हूडा' तो ऐसे ही ट्रांसफ़र करता आया है और करता रहेगा। 'हूडा' के तमाम सेक्टरों की सीवर व्यवस्था लगभग ठप रहती है। पॉश सेक्टरों में भी सीवर ओवर फ्लो करते रहते हैं और सेक्टर 21की सोसायटियों का सीवर तो सोसायटियों के बाहर खुले में ही बहता रहता है।

एनजीटी का उक्त जुर्माना नकली हथौड़ा इसलिये है कि अव्वल तो यह माफ़ हो जायेगा और यदि देना भी पड़ा तो किसी हरामखोर या रिश्वतखोर के घर से तो कुछ जाना नहीं, पहले से ही जो कंगाल निगम अपनी जायदादें बेच कर खर्चे चला रहा है, एक और जायदाद बेच कर जुर्माना भी अदा कर देगा। एनजीटी का असली हथौड़ा तब पड़ता जब जिम्मेवार अफ़सरों की जायदादों से जुर्माने की वसूली के साथ उन्हें 10-10 साल की कैद होती। यदि ऐसा एक बार भी हो जाये तो ये सभी हरामखोर, हरामखोरी छोड़ कर काम करने लगेंगे या नौकरी छोड़कर भाग जायेंगे। दरअसल जनता के पैसे से वेतन लेने वाले न तो काम करने के लायक हैं और न उनकी नीयत है। हां कड़ी सजायें मिलने लगेंगी तब वही लोग नौकरी में आयेंगे जो काम करने के लायक होंगे और नीयत भी ठीक होगी।

जन विरोध के बावजूद शराब का ठेका जरूर खोला जा सकता है

सेक्टर में बीते एक साल से यहां की महिलायें यहां खुले एक शराब ठेके का विरोध करती आ रही हैं। खट्टर की ये जन विरोधी सरकार सीवर लाइन तो चालू कर नहीं सकती लेकिन जनता को बर्बाद करने के लिये उनके घरों के बीच में शराब का ठेका जरूर खोल सकती है।

गत वर्ष भी यहां की महिलाओं ने इस ठेके का विरोध बड़े जोर-शोर से किया था। काफ़ी समय तक ठेके के सामने धरना भी दिया था। उस वक्त अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि आगामी वर्ष में यहां ठेका नहीं खुलेगा। लेकिन इसके बावजूद नये वित्त वर्ष में फ़िर से यहीं ठेका खोल दिया गया है। जो विधायक सीमा त्रिखा महिलाओं की बात सुनने तक को तैयार नहीं थी अब वोट मांगने को इनके चक्कर काट रही है। ऐसे में यहां के निवासी इन्हें कैसे वोट देंगे, समझना कठिन नहीं है।

सुधी पाठकों से अपील

31 वर्षों से 'मज़दूर मोर्चा' वैकल्पिक मीडिया के तौर पर अपने सुधी पाठकों को वह समाचार, विचार एवं जन उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करता आ रहा है जिसे अन्य मीडिया छिपाने का प्रयास करता है। सुधी पाठक इतना तो समझ ही गये होंगे कि यह छोटा सा अखबार किसी भी राजनीतिक अथवा व्यवसायिक धड़े से जुड़ा नहीं है। जनहित में जो भी प्रकाशित करने लायक सामग्री हो पाती है उसे लोग़ों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।

बिना विज्ञापनों के, केवल पाठकों के सहयोग से चलने वाला यह छोटा सा अखबार आपको और अधिक बेहतर व निरंतर सेवा देता रहे इसके लिये आप से निवेदन है कि इसमें अपना आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। 'मज़दूर मोर्चा' नियमित रूप से खरीदकर पढ़ने वाले पाठक तो अपना योगदान दे ही रहे हैं, इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अखबार पढ़ने वाले पाठकों से विशेष अनुरोध है कि वे भी इसमें अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करें। वार्षिक सहयोग के तौर पर 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये की धनराशि सामर्थ्य अनुसार 'मज़दूर मोर्चा' के निम्नलिखित खाते में डाले जा सकते हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में

खाता संख्या : 451102010004150

IFSC CODE : UBIN0545112

सीएम सिटी में रिश्वतखोरी का खेल, खेल रहा है आईटीओ कालिया

करनाल: बलविन्द्र कालिया आयकर कार्यालय में कार्यरत हैं, जिनकी चर्चा आय से अधिक धन कमाने वालों में होती रही है। सूत्रों मुताबिक अपनी इसी आय से अपने रिश्तेदारों के नाम बेनामी सम्पत्ति बनाई है। जिसकी शिकायत आयकर कार्यालय में सबूतों सहित होती रही है लेकिन कार्यवाही नही की गई।

बलविन्द्र कालिया ने अपनी पत्नी को तलाक दे रखा है। जब कोर्ट द्वारा खर्चा देने की बारी आई तो आयकर अधिकारी ने आय का ब्योरा सौंपा जिसमें सभी स्रोतों द्वारा अपनी कुल आय 5255 रुपये बताई। जबकि अपनी मां, बहन जिसका पति उसे छोड़कर चला गया है व उसके परिवार को अपने ऊपर आश्रित बताया। अदालत ने भी इसे माना और विभाग ने भी सही पाया।

ये अधिकारी व इसका परिवार जिस ठाठ-बाठ से रहता है इसे देख कर कहा जा सकता है कि एक दिन का खर्चा इसके वेतन के बराबर होगा। 29 दिन का खर्चा कहां से आ रहा है ये किस को पता है।

इस अधिकारी ने दूसरी शादी कर ली तथा शहर की पॉश कॉलोनी में मॉडल टाऊन में मकान बनवाया। प्राप्त जानकारी अनुसार कार्यालय आने-जाने के लिये एक बड़ी कार व सेवक रखना भी आय से अधिक खर्चा बताता है। कार के रख-रखाव में जो खर्चा आता है जिसमें बीमा पॉलिसी 20 हज़ार रुपये, डीजल खर्चा, 30 हज़ार रुपये, रख-रखाव व सर्विस खर्चा करीब 15 हज़ार रुपये कम से कम रहता है। अगर टायर व बैटरी वगैरा बदलवानी पड़े तो वह अलग से लगेंगे। एक अधिकारी जो 5255 रुपये अपनी आय अदालत में बतलाता है, इतना खर्च कहां से उठायेगा? जाहिर है पैसा तो कहीं न कहीं से आता ही होगा।

आयकर अधिकारी ने शपथ पत्र देकर अदालत में बताया कि मेरी मां व मेरी बहन, बहन का परिवार मेरे ऊपर ही आश्रित है। लेकिन बहन का परिवार जो अलग कोठी में रहता है उसका रहन-सहन भी आम आदमी के स्तर से ऊपर है। इस बारे आयकर विभाग को आरटीआई द्वारा सूचित भी किया गया परन्तु विभाग ने आजतक कोई कार्यवाई न की।

सूत्रों मुताबिक यह अधिकारी कारोबारियों के दम पर रौब दिखाता रहता है तथा अपनी निजी कार पर भारत सरकार लिख कर आयकर विभाग का चिन्ह लगा कर चलता है।

इस बात की पुष्टि के लिये जब पत्रकार इसकी कार की फ़ोटो लेने गया तो इन्हें पता लग गया और अपनी पत्नी के नाम से एक शिकायत पुलिस चौकी में धमकी देने बारे दे दी। पुलिस वालों के साथ मिल कर अनेक धाराओं में केस दर्ज कराने की धमकी देने लगा। पुलिस विवेचना अधिकारी कह रहा है कि लिख कर दो गलती हो गई, नहीं तो ततीमा बयान लेकर मुकदमा दर्ज कर दूंगा। सवाल है हज़ारों की कमाई में लाखों का खर्च कैसे हो रहा है? क्या ये गलत नहीं? सरकार संज्ञान ले या नहीं ये सरकार जाने। लेकिन अपने प्रभाव से झूठा केस बनाने के लिये दबाव बनाना गलत है। मिली जानकारी अनुसार आयकर विभाग का अधिकारी विभाग की अनुमति के बिना शहर भी नहीं छोड़ सकता जबकि ये महाशय डेली कैथल से अप डाऊन करते हैं।

'हूडा' में भ्रष्टाचार: खुलेआम अतिक्रमण व नियमों का उल्लंघन

करनाल (जे के पी के) अर्बन एस्टेट करनाल के भिन्न-भिन्न सेक्टरों के रिहायशी मकानों में धड़ाधड़ दुकानें, खुल रही हैं और ज़िला प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पूर्व सम्पदा अधिकारी ने कड़ी मेहनत व विशेष रुचि लेकर अर्बन एस्टेट करनाल के भिन्न-भिन्न सेक्टरों के रिहायशी मकानों में बनी नाजायज दुकानों को बंद कराया था और उन मकान मालिकों को प्लॉट मकान जप्त करने का नोटिस दिया था जिन्होंने अवैध रूप से दुकाने खोल रखी थी व सड़क तक रैम्प भी बना रखे थे। एक सर्वेक्षण के दौरान हमारे संवाददाता ने पाया कि सेक्टर 12 व एक्सटेंशन 13 व 13 सेक्टर व 14 सेक्टर को डिवाईड करने वाली सड़कों पर पूर्व सम्पदा अधिकारी 'हूडा' द्वारा बंद कराई गई दुकानों को लोग़ों ने दोबारा खोल लिया है। इस संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। भरोसे मन्द सूत्रों का कहना है कि 'हूडा' के करनाल स्थित अधिकारियों ने मोटी घूस लेकर रिहायशी मकानों में दोबारा दुकानें खुलवाई हैं। रिहायशी मकानों में दोबारा दुकाने खुलने के बाद कई लोग़ों ने अपने मकानों के आगे पड़ी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण शुरू कर दिया है और सरकारी ज़मीन को अपने मकानों के साथ मिला लिया है।

एक सर्वेक्षण के बाद संवाददाता ने पाया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अनेक सेक्टरों में लोग़ों ने अपने मकान के अगले हिस्से की बाउंडरी तोड़ कर सरकारी जगह पर बारी दीवाल बना ली है। कई लोग़ों ने तो मकान के साथ लगती सरकारी जगह भी हथिया ली है। सेक्टर 12 ढींगड़ा चौक पर एक मकान मालिक ने दुकानें बंद करने के लिये शपथपत्र भी दिया था। परन्तु शपथपत्र देने के बाद भी दुकानें बंद न की गई बल्कि उन दुकानों को किराये पर चढ़ा दिया है।

जबकि सेक्टर 12 मिनी सचिवालय जाने के लिये 'हूडा' विभाग के सभी अधिकारियों उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक आदि तक को ढींगड़ा चौक से गुजरना पड़ता है। किसी अधिकारी ने आज तक संज्ञान नहीं लिया। आज भी लोकसभा चुनाव की आड़ में नाजायज कब्ज़े व इन्क्रोचमैन्ट कर रहे हैं। उन्हें भी पता है वोट की राजनीति के चलते कोई रोकने-टोकने वाला नहीं है।

रिश्ते ही रिश्ते

माँ झण्डे वाली मैरिज ब्यूरो

OFFICE : 5M/22, N.I.T. FARIDABAD

CONTACT : ANSHU DUA

(M) : 9990589008,

7982962823, 9891124022

TO-LET किराए के लिए

GROUND FLOOR

SHOWROOM/OFFICE

Measuring 1000-2000-3000 Sq. Ft.

Front 15ft-30ft-45ft, Depth 70 ft,

On 60ft Main 3-E/3-F Dividing Road,

N.I.T-3, Faridabad

Best location with all facilities.

#9811199260

(Owner)

Brokers Welcome